राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

क्रमांकः संस्था./2021/ दिनांकः

–:: परिपत्र ::–

प्रायः यह देखने में आया है कि जिले के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदस्थापित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पोशाक/वर्दी में राजकार्य पर उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि राज्य सरकार द्वारा समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमानुसार वर्दी भत्ता एवं धुलाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इस तरह वर्दी भत्ता एवं धुलाई भत्ता प्राप्त करने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पोशाक/वर्दी में राजकार्य पर उपस्थित नहीं रहना राजकार्य के प्रति गंभीर उदासीनता एवं घोर लापरवाही के साथ–साथ आचरण नियमों के प्रतिकूल है।

अतः जिले के समस्त कार्यालयों में पदस्थापित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पाबंद किया जाता है कि कार्यालय में निर्धारित पोशाक/वर्दी में ही उपस्थित रहें, अन्यथा नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

साथ ही जिले के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ पदस्थापित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कार्यालय में निर्धारित पोशाक/वर्दी में ही उपस्थिति सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्यालय का प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण नहीं करने के अभाव अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

–Sd–

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली

क्रमांकः सम/3622-30 दिनांकः 08/10/2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिला स्तरीय अधिकारीगण, समस्त........................जिला करौली।
2. प्रभारी अधिकारी, समस्त अनुभाग कार्यालय हाजा।
3. कार्यालयाध्यक्ष, समस्त विभाग,....................................जिला क़रौली।
4. उपखण्ड अधिकारी, समस्त ....जिला करौली।
5. तहसीलदार, समस्त...........................जिला करौली।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, करौली को प्रकाशनार्थ।
7. जिले में पदस्थापित समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।
8. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

(पी.आर. मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

880 Estt.PK.Order

पता
कलेक्ट्रेट, करौली फोन न. 07464-250100 ई–मेलः dm-kar-rj@nic.in

Scanned with CamScanner